**सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस**

**(Notice U/Sec. 80 of the Code of Civil Procedure)**

सेवा में,

जनरल मैनेजर

उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

श्रीमान जी,

अपने मुअविक्ल/मैं० ............ के निर्देशानुसार और उनकी ओर से मेरे द्वारा आपको धारा 80 CPC के अन्तर्गत निम्नांकित नोटिस प्रेषित किया जा रहा है।

1. यह कि मै० ........... द्वारा .......... सूती कपड़े की गांठे ............ से को रेल द्वारा डिस्पैच की गई थी जिसकी रेलवे रसीद मेरे मुवक्लि को निर्गत की गई थी।
2. यह कि जब माल ............ रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो मेरे मुवक्किल द्वारा पाया गया कि ............ गांठों में से ............ गांठे ठीक थीं तथा ............ गांठें कटी फटी दशा में थीं। मेरे मुवक्किल द्वारा खुली डिलिवरी का अनुरोध किया गया जिसे रेलवे के अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार निम्नांकित माल कम/कटा फ़टा पाया गया (यहाँ विवरण दर्ज किया जाए)
3. यह कि माल के नुकसान और खराब होने का कारण रेलवे विभाग के कर्मचारियों की पूर्णतया लापरवाही का होना था जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व भारत सरकार का है चूँकि रेलवे विभाग भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण और प्रबन्ध में है। मेरे मुवक्किल को अंकन ............ रु० की क्षति पहुँची है।
4. **यह कि मेरे मुवक्किल द्वारा आपको धारा 78वी के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस रेलवे अधिनियम के तहत दिनांक ............. को भेजा गया था। जो आपको दिनांक ............ को प्राप्त हुआ किन्तु कार्यवाही नहीं की, अत: अनुरोध है कि आप नोटिस प्राप्त करने के दो माह के अन्दर मेरे मुवक्किल का अंकन ............ रु० व उस पर क्षति के दिन से भुगतान के दिन तक ............% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान कर दें अन्यथा आपके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद योजित किया जायेगा।**

(क) कम पाई गई गाँठों का मूल्य ............ रु० ............

(ख खराब पाई गई गाँठों का मूल्य ............ रु० ............

(ग) हानि या लाभ ............ रु० ...........

(घ) वैधानिक नोटिस चार्जेज ............ रु० ............

(च) विविध चार्जेज ............ रु० ...........

 **स्थान ............ दिनांक ............**

**योग……….**

**आपका विश्वसनीय**

 **(............)**

**टिप्पणी** :

1. नोटिस देने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए जो वाद दायर कर रहा है
2. वाद हेतु और अनुतोष का उल्लेख पर्याप्त स्पष्ट रूप में होना चाहिए।
3. नोटिस प्राप्त उसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसको भेजा गया था।
4. वाद दायर करने से पूर्व दो माह का समय नोटिस भेजने का व्यतीत हो जाना चाहिए।
5. नोटिस में वादी का नाम और निवास स्थान दर्ज होना चाहिए।
6. केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध दायर होने वाले वाद में नोटिस उस सरकार के सचिव को देना चाहिए।
7. केन्द्रीय सरकार में जब यह रेलवे विभाग से सम्बन्धित हो तो रेलवे के जनरल मैनेजर को नोटिस दिया जाना चाहिए।
8. जम्मू और कश्मीर की सरकार के विरुद्ध दायर होने वाले वाद में उस सरकार के मुख्य सचिव अथवा अन्य अधिकारी जिसे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो को नोटिस दिया जाना चाहिए।
9. किसी राज्य सरकार के मामले में उसके सचिव अथवा उस जिले के कलेक्टर को नोटिस भेजा जाना चाहिए।